झारखण्ड सरकार

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–उपायुक्त का कार्यालय, धनबाद।

(जिला निर्वाचन शाखा)

धनबाद नगर निगम निर्वाचन के लिए आहूत मतदान सामग्री एवं प्रपत्र हेतु मांगी गई निविदा की शर्तें

1. प्रत्येक निविदादाता को दो अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफे में तकनिकी बीड (Technical Bid) एवं वित्तीय बीड सम्बन्धी कागजात समर्पित करना होगा। लिफाफों पर स्पष्ट अक्षरों में तकनिकी बीड तथा वित्तीय बीड अलग–अलग अंकित करना होगा।

तकनिकी बीडः–

I. तकनिकी बीड में आयकर देने सम्बन्धी निबन्धन संख्या एवं अद्यतन आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।

II. बिक्रीकर निबन्धन सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

III. प्रत्येक निविदादाता को 10,000.00 (रूपये दस हजार) का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में **उप निर्वाचन पदाधिकारी, धनबाद के पदनाम से** तकनिकी बीड के साथ संलग्न करना होगा।

IV. तकनिकी बीड के साथ पूर्व चुनाव में कार्य करने का कोई अनुभव/कार्यादेश हो तो संलग्न कर सकते हैं। अन्य शर्तें पूर्ण करने पर अनुभव वाले फर्म को प्राथमिकता दी जा सकती है।

V. पूर्व में निर्वाचन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने वाले निविदादाता निविदा के पात्र नहीं होंगे।

वित्तीय (Financial bid):– वित्तीय बीड के लिफाफे में सामग्रियों का दर प्रति नग, कागज का मूल्य प्रति रीम, लिफॉफे (मुद्रित) प्रति सैंकड़ा अंकित करना होगा।

2. प्रत्येक निविदादाता को मानक स्तर पर नमूना निविदा पत्र के साथ अलग से संलग्न करना होगा।
3. सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित अवधि में नमूना के अनुरूप करने सम्बन्धी शपथ पत्र कार्यादेश निर्गत होन पर संलग्न करना होगा। समय पर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अथवा काली सूची में डाला जा सकता है।
4. आपूर्ति आदेश में अंकित तिथि के अन्दर निश्चित रूप से सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
5. कार्यालय या कार्यस्थल तक सामग्रियों को लाने या वापस ले जाने हेतु किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
6. निविदा स्वीकृति करने, अस्वीकृत करने अथवा सम्पूर्ण निविदा रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
7. न्यूनतम स्वीकृत दर पर आवश्यकता अनुसार एक से अधिक फर्मों को कार्यादेश दिया जा सकता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–
उपायुक्त, धनबाद।